



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण, 1945 (श०)

संख्या - 485 राँची, शुक्रवार,

18 अगस्त, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

31 जुलाई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-49/2022-23112 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्रीमती रंजना मिश्रा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-686/03), तत्कालीन प्रभारी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो के विरुद्ध प्राक्कलन की बिना जाँच किये अभिलेख उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ को उपस्थापित करने, अभिलेख के गहन छानबीन किये बिना एवं स्थल जाँच किये बिना प्राक्कलन तैयार कर वादी के दावा को सही बताकर वरीय पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने, आयुक्त कार्यालय, कोल्हान प्रमंडल के पत्रांक-1233, दिनांक 07.12.2007 द्वारा की गई पृच्छाओं से संबंधित संचिका पर चार वर्षों से अधिक समय तक कार्रवाई नहीं करने एवं तार्किक आदेश ज्ञापांक-444, दिनांक 27.01.2012 द्वारा आवेदकगण के दावा को निरस्त करने संबंधी आरोप, जैसा कि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5910, दिनांक 23.11.2022 द्वारा गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्रीमती मिश्रा के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्रीमती मिश्रा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्रीमती मिश्रा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्रीमती मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, सरायकेला-खरसावाँ को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्रीमती रंजना मिश्रा, झा०प्र०से० एवं श्री रमाकान्त सिंह, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RANJANA MISHRA BHR/BAS/3126	श्रीमती रंजना मिश्रा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-686/03), तत्कालीन प्रभारी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1, सुवर्णरेखा परियोजना, मानगो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
